



## प्रेस विज्ञप्ति जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक 28.05.2022

### जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 03 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति की गई कुर्क ।

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त शिव प्रकाश मौर्या पुत्र राम भुवाल मौर्य निवासी मरौचा थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 253/2019 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बसखारी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 3 करोड़ रुपए की निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क की गयी जिसका विवरण निम्नवत है।

01. अभियुक्त शिव प्रकाश मौर्या के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग आजमगढ़ बसखारी पर क्रय गई गाटा संख्या 140 रकबा 0.6100 हे0 में से 0.079 हे0 ।
02. अभियुक्त द्वारा भगवानदास मौर्या हाई स्कूल के नाम क्रय गयी ग्राम रामडीह सराय स्थित गाटा सं0 140 रकबा 0.610 हे0 मे से 0.090 हे0 ।
03. अभियुक्त द्वारा भगवानदास मौर्या हाई स्कूल शुक्ल बाजार व आर0बी0 मौर्य एकेडमी पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय शुक्ल बाजार के नाम से क्रय की गयी ग्राम रामडीह सराय स्थित गाटा सं0 140 रकबा 0.585हे0 में से 0.45 हे0 ।
04. अभियुक्त शिव प्रकाश मौर्या के द्वारा क्रय की गयी रामडीह सराय स्थित गाटा सं0 140 रकबा 0.610 का बचा सम्पूर्ण भाग 0.191हे0 ।
05. अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी गायत्री के नाम क्रय की गयी ग्राम रामडीह सराय में स्थित गाटा सं0 138 रकबा 0.216 हे0 में से 0.012455 हे0 ।
06. अभियुक्त शिव प्रकाश मौर्या द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण की गयी ग्राम रामडीह सराय स्थित गाटा सं0 141 रकबा 0.026 हे0 ।
07. अभियुक्त शिव प्रकाश मौर्या द्वारा द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण की गयी ग्राम रामडीह सराय स्थित हड़ोहर गाटा सं0 139 रकबा 0.044 हे0 ।

उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का उपभोग शिव प्रकाश मौर्या पुत्र राम भुवाल मौर्य निवासी मरौचा थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर व उसके परिवार द्वारा किया जा रहा था जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 03 करोड़ रुपये है।

नोट:- अभियुक्त आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है तथा अपराध जगत में सक्रिय है एवं अपने आपराधिक क्रियाकलाप करते हुए कई विद्यालयों का संचालन व सरकारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जेदारी की गई है तथा अपराधी कृत्यों से धन अर्जित कर उसके द्वारा उपरोक्त अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया गया है एवं अपराधिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्तियों को अपने व अपने सम्बन्धियों के नाम बैनामा कराता है ।